न्यायालय अति. जिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर.ए.एस.
अपील सं. 09/2025

1. लक्ष्मणराम पुत्र श्री जमनाराम पुत्र लिखमाराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 87 जी. बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
2. लक्ष्मीदेवी पत्नी जमनाराम पुत्र लिखमाराम जाति बावरी निवासी 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

— अपीलार्थी

बनाम्

1. लक्ष्मीदेवी पत्नी जयराम जाति बावरी निवासी 2 एम.एल.डी. बी घडसाना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व घडसाना।
3. नानूदेवी पुत्री जमनाराम पत्नी रूपाराम जाति बावरी निवासी 15 ए.एस.डी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. भागवंती पुत्री जमनाराम पत्नी रामचन्द्र जाति बावरी निवासी 10 एल.एम. नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. नेकाकी पुत्र जमनाराम पत्नी अमरचन्द जाति बावरी निवासी चक 4 डी.जे.एम. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. मेली पुत्री जमनाराम जाति रामप्रताप जाति बावरी निवासी 11 एल.एम. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णादेवी पुत्री जमनाराम जाति बावरी निवासी 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.

—प्रत्यर्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

<u>अपील अन्तर्गत 75 भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति :—

1. **श्री राजेश कुमार डाल, अधिवक्ता अपीलार्थी**
2. **श्री नरेन्द्र चुघ, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1**
3. **श्री कुलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण सं.—3ता7**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 17.07.2025

संक्षेप में अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा अपील पेश कर अवगत करवाया गया कि तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना के निर्णय दिनांक 25.02.2022 प्रकरण संख्या 59/2021 अनवान लक्ष्मीदेवी बनाम् सरकार जिसकी रूह से अपीलांटस के ससुर/दादा लिखमाराम की चक 2 एमएलडी बी के पत्थर नं.—47/41 के किला नं.—2ता4/0.759,5/1 में 0.228,6/1 में 0.126, 7/1 में 0.202, 8ता12/1.265, 13/1 में 0.152, 14/1 में 0.139, 15/1 में 0.228, 16,17/0.506, 18/1 में 0.139, 19/1 में 0.152 कुल 3.896 हैक्टर कमाण्ड भूमि के नामान्तरण वसीयत के आधार पर उतरदायी नं.—01 के नाम से अंकन की स्वीकृति प्रदान की है। जो खिलाफ कानून खिलाफ रिकॉर्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। फैसला की प्रमाणित प्रति संलग्न अपील है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश क्षेत्र से बाहर जाकर व कानून के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राथमिक रूप से गलत न्याय विरूद्ध होने से निरस्ती के योग्य है।
2. प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं.—01 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चुघ एवं प्रत्यर्थीगण सं.—3ता7 की तरफ से कुलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
3. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना के निर्णय दिनांक 25.02.2022 प्रकरण

अति. जिला कलक्टर
अनूपगढ़